रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2011/वैशाख 12, 1933
No. 229] NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2011/VAISAKHA 12, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल 2011

सा.का.नि. 356(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "ग" (साधारण ड्यूटी/तकनीकी ट्रेडमैन) काडर भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "ग" (साधारण ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेडमैन) काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "ग" (साधारण ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेडमैन) काडर भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में हैड कांस्टेबल के पद से संबंधित क्र. सं. 2 के सामने :—

(i) स्तम्भ (10) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हैड कांस्टेबल के लिए दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है ।";

(ii) स्तम्भ (11) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(i) 85 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

(ii) 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा ।

(iii) 5 प्रतिशत खेलों के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा ।";

(iii) स्तम्भ (12) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन के लिए पात्रता शर्तें सरकार की नीति के अनुसार होंगी ।";

[फा. सं. एम. पांच. 1/2011-पी/सैल/स्था./केरिपुबल]

अजय कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम, सं. सा.का.नि. 614(अ), तारीख 22 जुलाई, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

1566 GI/2011

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2011

G.S.R. 356(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force Group "C" (General Duty/Technical/Tradesmen) Cadre Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Group "C" (General Duty/Technical/Tradesmen) Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2011,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Reserve Police Force Group "C" (General Duty/Technical/Tradesmen) Cadre Recruitment Rules, 2010, against serial number 2, relating to the post of Head Constable, —

(i) in column (10), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Two years for direct recruits and Head Constables appointed through Limited Departmental Competitive Examination and further extendable at the discretion of competent authority.";

(ii) in column (11), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"(i) 85% by promotion.

(ii) 10% by Limited Departmental Competitive Examination failing which by promotion.

(iii) 5% by direct appointment on sports basis.";

(iii) in column (12), after the existing entries, the following shall be inserted, namely :—

"Eligibility conditions for Selection through Limited Departmental Competitive Examination will be as per policy of the Government.".

[F. No. M.V.-1/2011-P/Cell/Estt/CRPF]

AJAY K. SINGH, Director (Pers)

Note : The Principal rules were published vide number G.S.R. 614(E), dated the 22nd July, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.